भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1300
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 08 दिसंबर, 2025
17 अग्रहायण, 1947 (शक)

कीलाडी उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य

1300. सुश्री एस. जोतिमणि:
श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तमिलनाडु में कीलाडी और संबंधित स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों, जो कि एक उन्नत, साक्षर लौह युग की सभ्यता के अस्तित्व का संकेत देते हैं, को स्वीकार करती है ;
(ख) यदि नहीं, तो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से कार्बन डेटिंग और कलाकृतियों के विश्लेषण के बावजूद इस पुरातनता को औपचारिक रूप से मान्यता देने की अनिच्छा के क्या कारण है ;
(ग) क्या तमिल संस्कृति में लौह-युग की प्राचीनता और तमिलनाडु सरकार द्वारा तैयार की गई कीलाडी रिपोर्ट के निष्कर्षों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) मान्यता नहीं दे रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुरातत्वविद् डॉ. अमरनाथ रामकृष्ण, जिन्होंने प्रारंभिक कीलाडी खुदाई का नेतृत्व किया और निष्कर्षों पर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, को कई बार स्थानांतरित किया गया है और यदि हां, तो क्या सरकार ने अकादमिक स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले ऐसे कार्यों के बारे में इतिहासकारों और नागरिक समाज द्वारा उठाई गई चिंताओं की समीक्षा की है; और
(ङ.) क्या सरकार तमिलनाडु की प्राचीन पुरातात्विक विरासत की वैज्ञानिक अखंडता, पारदर्शिता और राष्ट्रीय मान्यता सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग और प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से हाथ मिलकर काम करने को तैयार है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख) : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों द्वारा किए गए विभिन्न उत्खनन और अन्वेषण के माध्यम से तमिलनाडु की विभिन्न संस्कृतियों से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य प्रकाश में लाए गए हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान, किए गए उत्खनन का विवरण निम्नानुसार हैं:

	2021	2022	2023	2024	2025 (अगस्त तक)
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	2	2	1	2	1
राज्य सरकार	9	8	-	8	1
विश्वविद्यालय	3	-	1	2	3
शोध संस्थान	-	-	2	-	-
कुल	14	10	4	12	5

(ग): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2014 और 2016 के बीच कीलाडी में किए गए उत्खनन कार्य की रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत किया गया है। तथापि, तमिलनाडु सरकार द्वारा वर्ष 2018 से किए गए उत्खनन से संबंधित कोई अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(घ): पुरातात्विक अधिकारियों को कार्यों का आवंटन किया जाना एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है।

(ङ): भारत सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और तत्संबंधी नियमावली, 1959 के प्रावधानों के अनुसार, उत्खनन कार्य के लिए अनुमति प्रदान करती है और साथ ही साथ इस अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है। इस संबंध में आवश्यक होने पर यह राज्य पुरातत्व विभाग और अन्य संस्थानों/एजेंसियों के साथ भी सहयोग करती है।

*****